न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 183/2018

अनवान :

1. रामकुमार } पुत्रान अमरसिंह जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा
2. नेतराम } जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री नानू जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. भगतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. बिन्दू देवी पुत्री अमरसिंह पत्नि मनरूप जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सन्तो पुत्री अमरसिंह पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. परमेश्वरी पुत्री अमरसिंह पत्नि मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. बसंती देव पुत्री अमरसिंह पत्नि सन्तलाल जाति जाट निवासी राजपूरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88.188 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादीगण**
वकील श्री सतवीर बैनीवाल - **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 30-08-2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के मौरूशाला नानु की रोही मौजा मुन्दडिया छोटा के खसरा सं0 43 व 42 की 17 किला 10 बिस्वा कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा सं0 147 है व रोही मौजा मेहलिया के खसरा सं0 111 मीन की 1 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 163 है व रोही मौजा मेहलिया के खसरा सं0 111 मिन की 27 किला 14 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 165 है0 खातेदारी काश्तकारी भूमि हुआ करती थी। उक्त कृषि भूमि नानूराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से ओद हो गई है। प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज होने के बाद रोही मौजा मुन्दडियाछोटा के खाता सं0 2/3 के खसरा सं0 147 की 4.4260 है0 बारानी, रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 2/3 के खसरा सं0 163 की 0.2530 है0 खसरा सं0 165 की 7.0060 है0 कुल खसरा सं0 2 की 7.2590 है0 खातेदारी भूमि हैक्टेयर में तब्दील हो गई जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है तथा संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से ओद हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 का

जन्म से हक व हिस्सा है, लेकिन वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 की हकतलफी होती है। प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तर्क रखा है।

रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 3/4 के खसरा सं0 12 की 4.3130 है0, खसरा सं0 14 की 4.3000 है0 खसरा सं0 252 की 5.6160 है0 कुल खसरा सं0 3 की 14.2290 है0 आराजी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का 424 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि संयुक्त परिवार की आय से खरीद की हुई है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम क्रय की हुई है तथा प्रतिवादी सं0 1 ही काश्त करता है जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम रखी जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी नेतराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम मुन्दडियाछोटा खाता सं0 2/3 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मेहलिया खाता सं0 3/4 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मुन्दडियाछोटा सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मेहलिया सम्वत् 2019 प्रदर्श 4 व 5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मेहलिया खाता सं0 2/3 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से ओद हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मुन्दडिया छोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मुन्दडियाछोटा सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मेहलिया सम्वत् 2019 प्रदर्श 4 व 5 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा नानू के नाम दर्ज है जिससे दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श में अमरसिंह पि0मु0 नानुराम के वारिसान में पत्नि निमोदेवी, तीन पुत्र रामकुमार, नेतराम, भगतसिंह व चार पुत्रियां बिन्दुदेवी, षंतो, परमेश्वरी, बसंती देवी होना एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

सहायक कलक्टर (हनु.)

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियाछोटा के खाता सं0 2/3 के खसरा सं0 147 की 4.4260 है0 बारानी, रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 2/3 के खसरा सं0 163 की 0.2530 है0 खसरा सं0 165 की 7.0060 है0 कुल खसरा सं0 2 की 7.2590 है0 खातेदारी भूमि हैक्टेयर जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 तथा 3 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है, तो बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 तीनों के नाम कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 3/4 के खसरा सं0 12 की 4.3130 है0, खसरा सं0 14 की 4.3000 है0 खसरा सं0 252 की 5.6160 है0 कुल खसरा सं0 3 की 14.2290 है0 आराजी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का 424 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-08-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 183/2018

अनवान :

1. रामकुमार } पुत्रान अमरसिंह जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा
2. नेतराम } जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **वादीगण**

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री नानू जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. भगतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. बिन्दू देवी पुत्री अमरसिंह पत्नि मनरूप जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सन्तो पुत्री अमरसिंह पत्नि धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. परमेश्वरी पुत्री अमरसिंह पत्नि मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. बसंती देव पुत्री अमरसिंह पत्नि सन्तलाल जाति जाट निवासी राजपूरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियाछोटा के खाता सं0 2/3 के खसरा सं0 147 की 4.4260 है0 बारानी, रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 2/3 के खसरा सं0 163 की 0.2530 है0 खसरा सं0 165 की 7.0060 है0 कुल खसरा सं0 2 की 7.2590 है0 खातेदारी भूमि हैक्टेयर जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 तथा 3 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है, तो बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 तीनों के नाम कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। रोही मौजा मेहलिया के खाता सं0 3/4 के खसरा सं0 12 की 4.3130 है0, खसरा सं0 14 की 4.3000 है0 खसरा सं0 252 की 5.6160 है0 कुल खसरा सं0 3 की 14.2290 है0 आराजी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का 424 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट